

## अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

चावलीदेवी बनाम मदनलाल आदि

किस्म मुकदमा :- घोषणात्मक चिरनिषेधात्मक आज्ञा अ.धा.88,188 आर  
टी एक्ट 131,136 एलआरएक्ट

नं. मुकदमा.....8.7/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.7.2019	यह वाद पत्र वादी की ओर से श्री नेतराम सियाग एडवोकेट द्वारा पेश किया गया। सरिस्ते से रिपोर्ट बाद प्राप्त हुआ। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी आईन्दा दिनांक 28.08.2019 को पेश हो।	826 29/7/19
28/8/19	पत्रावली... कार्य... दिनांक 4/9/19	
9/9/19	पत्रावली... कार्य... दिनांक 9/9/19	
9/9/19	आज यह पत्रावली पेश हुई। आपत्तय समय में आवे लगेवाई गई। बार-बार आवे लगेवाई जाने के बावजूद वकील वादी एवं वादी अनुपस्थित हैं। इससे पटी प्रतीत होता है कि वादीगण/वादी एवं उनके अधिवक्ता की प्रकरण में कोई रुचि नहीं है। लिहाजा वाद वादी अदम टाली/अदम पैखी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निष्पत्ति में फेलत/अमर होकर टालील इफ्तार हो।	उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर